

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:- एफ.4(ई)एस-2078/2013/अलेसे-II/617

दिनांक :- 02.08.2024

कार्यालय आदेश

श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नम्बर 10712) को विभागीय आदेश क्रमांक 04 दिनांक 02.01.2023 द्वारा दिनांक 15.11.2022 से निलम्बित किया गया था। वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 पार्ट दिनांक 26.07.2024 के क्रम में निलम्बन से बहाल किए जाने के निर्णय की अनुपालना में श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है। श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार अग्रिम आदेशों तक आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय कोषाधिकारी, भरतपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे। उक्त बहाली आदेश माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अध्यक्षीन होंगे तथा निलम्बन काल का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत किया जाएगा।

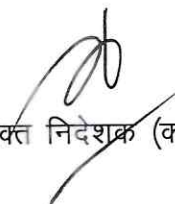

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)एस-2078/2013/अलेसे-II/617

दिनांक :- 02.08.2024

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यालय कोषाधिकारी, भरतपुर।
3. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नम्बर 10712), मुख्यालय कार्यालय कोषाधिकारी, भरतपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/ पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली/गोपनीय शाखा/ जांच शाखा।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)